गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
(प्रथम दिल्ली विधान सभा)

तीसरा प्रतिवेदन

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बुद्धवार, 17 अगस्त, 1994 को एक बैठक हुई ।

2. समिति तीसरे सत्र के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए उनके सामने दर्शाए गये समय के नियतन की सिफारिश करती है :

(1) गैर सरकारी विधेयक

निम्नलिखित गैर सरकारी विधेयकों पर विचार :

(1) कु0 पूर्णिमा सेठी द्वारा 8.4.1994 को प्रस्तुत बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन पोषण तथा कल्याण) विधेयक, 1994. 5 मिनट

(2) कु0 पूर्णिमा सेठी द्वारा 8.4.1994 को प्रस्तुत बाल (श्रम उन्मूलन, कल्याण एवं पुनर्वास) विधेयक, 1994 5 मिनट

(3) श्री जग प्रवेश चन्द्र द्वारा 8.4.1994 को प्रस्तुत (लोकायुक्त विधेयक), 1994 15 मिनट

(2) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(1) श्री नन्द किशोर गर्ग द्वारा 25.3.1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा : 15 मिनट

" यह सदन यह सिफारिश करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए रियायती दर पर भूमि प्रदान की जाए ।"

(2) श्री मुकेश शर्मा " यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में 31 मार्च, 1993 तक बसी हुई सभी अनधिकृत कालोनियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देकर बिजली और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा उनमें खड़ंजे लगाने व बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए ।" 40 मिनट

.....2

3. श्री नन्द किशोर गर्ग — "यह सदन संकल्प करता है कि सभी आवासीय, व्यवसायिक, संस्थानिक व औद्योगिक सम्पत्तियां, जो कि दिल्ली नगर निगम, डी. एस. आई. डी. सी., उद्योग निदेशालय, स्लम विंग इत्यादि ने पट्टे (लीज) पर दी हैं, को उचित राशि (प्रीमियम) लेकर फ्री होल्ड कर दिया जाये। यह सदन भारत सरकार से भी सिफारिश करता है कि वे सभी सम्पत्तियां, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा एल. एंड डी. ओ. ने पट्टे (लीज) पर दी हैं, उनको भी उचित राशि (प्रीमियम) लेकर फ्री होल्ड कर दे।" – 30 मिनट.

4. श्री मेवा राम आर्य — "चूंकि दिल्ली में पूर्ण अधिकार प्राप्त विधान सभा न होने के कारण दिल्ली के नागरिक अपनी सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने के अपने मूल अधिकार से वंचित हैं, – 45 मिनट.

चूंकि वे भूमि, पुलिस, सेवाओं पर नियंत्रण, वित्त आदि जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भी अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं,

इसलिये दिल्ली में जनसामान्य के हितों को सुरक्षित करने के लिये यह सदन केन्द्रीय सरकार से यह पुरजोर मांग करता है कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करे।"

5. श्री गौरी शंकर भारद्वाज — "यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली राज्य के विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम की सभी विषय की पुस्तकों से उन सभी असत्य, भ्रामक व विकृत अंशों को निकाल दिया जाये जो ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा प्रमाणित निष्कर्षों तथा भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों की मूलभूत धारणाओं व मान्यताओं एवं राष्ट्रीय अस्मिता के विरूद्ध हैं। उक्त सभी मिथ्या व अपमानजनक अंशों के स्थान पर वैदिक वाङ्मय में निहित तथ्यपूर्ण एवं राष्ट्रीय अस्मिता व गौरव को दिग्दर्शित करने वाले अंश समाविष्ट किये जाएं।" – 30 मिनट.

.....

दिल्ली.
17 अगस्त, 1994.

चरती लाल गोयल
अध्यक्ष.

14/c

Committee on Private Members' Bills & Resolutions

(First Delhi Vidhan Sabha)

Third Report

The Committee on Private Members' Bills & Resolutions held a sitting on Wednesday, the 17th August, 1994.

2. The Committee recommend the allocation of time to the following private members' business during the 3rd session of the Vidhan Sabha, as indicated against each item of business :

(I) PRIVATE MEMBERS' BILLS

Consideration of the following Private Members' Bills :

(1) The Girl Child (Compulsory Education, Upbringing of Welfare) Bill, 1994 introduced by Km. Purnima Sethi on 8.4.1994. — 5 Minutes

(2) The Child Labour (Abolition, Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994 introduced by Km.Purnima Sethi — 5 Minutes

(3) The Delhi Lokayukta Bill, 1994 introduced by Sh. Jag Parvesh Chandra on 8.4.1994. — 15 Minutes

(II) PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(1) Further discussion on the following Resolutions moved by Shri Nand Kishore Garg on 25.3.94 :-

"That this House recommends that land for schools and colleges be given at concessional rates by D.D.A." — 15 Minutes

(2) Sh.Mukesh Sharma — "This House resolves that by issuing no-objection certificates to such unauthorised colonies which were inhabited by 31.3.1993 facilities like electricity, drinking water, laying of brick pavements and draining out of rainy water be made available." — 40 Minutes

.....2/

(3) Sh. Nand Kishore Garg	"This House resolves that all residential, commercial and industrial and institutional properties leased out by MCD, DSIDC, Directorate of Industries, slum wing of MCD etc. be made free-hold after payment of reasonable premium. It also recommends to Central Govt. to convert all lease hold properties into free-hold which have been leased out by DDA and I&DO."	30 mts.
(4) Sh. Mewa Ram Arya	"Whereas in the absence of a fully empowered Legislative Assembly, the citizens of Delhi are deprived of their basic right of enacting necessary Legislation to meet their social and economic need through their elected representatives; Whereas they are also deprived of an effective voice in vital matters like Land, Police, control over Services, Finance etc.; Therefore, this House strongly recommends to the Central Govt. that Delhi be granted Statehood to safeguard the interest of the people in general."	45 mts.
(5) Sh.Gauri Shanker Bhardwaj	"This House resolves that all such unfounded, fallacious and distorted portions which are contrary to the historical facts and established conclusions by the archologists and which are against the Indian Cultural values of life and basic concepts of a national identity be omitted from the text books prescribed in the schools of Delhi and in lieu of all such untruthful derogatory portions, such portions which established national identity and dignity as are envisaged by Vedic Literature be included."	30 mts.

Delhi
17th August, 1994.

CHARTI LAL GOEL
SPEAKER